

तारीख  
हुकम

18.12.23

पञ्जवली पेश हुइ । यकांस पक्षकारान उपस्थित आज पौजसोन अधिकारी भ्रमण पर हे । अन्य कार्य में व्यस्त हे । पत्रायली गत आदेशानुसार दिनांक 10.1.24 को पेश हो ।

रीडर

18-12-23 पञ्जवली पेश हुइ । उक्त पक्षकारान में वकील

उपस्थित । पक्षकारान की पहचान उनके अधिकाधिकारी

जण के की । वकील पक्षकारान की पत्र डा. पत्र इस

बाबत पेश हुया कि विवाहित आराजी में विद्यमान पत्र

दिनांक 10-12-1962 का विवाद चल रहा है । यह

विवाद वरदीगठ क ज.वा.सं. 13 का ज.वा. सं. 14 के

के मध्य है । डा. पत्र की मद सं. 3 के अनुसार

इसके तहत आपसी समझौता हो चुका है अतः

उक्त पक्षकारान का मे आगे नहीं चलाना

सिद्धा करना चाहते हैं । वकील पक्षकारान की

बहस सुनी गई जिसमें दोनों अधिकाधिकारी

ने सिद्धा का सहमति जाहिर की । बाद में वकील

पञ्जवली के कर्णों मनन करके डा. पत्र कक्ष

सिद्धा स्वीकार किया जाना है तथा बाद सिद्धा

की अनुमति की जाती है । डा. पत्र सिद्धा के

अन्तर्गत वाद खारिज किया जाना है

पञ्जवली फैसले अनुसार हे नम्बर हे

कम ही तथा बाद वाली दरिबल

दफ्तार हो गयी ।

उपपण्ड अधिकारी  
शंभु (राज.)

कादीगठ

विधायक

1

2

3

श्री. शंभु

श्री. श्री. सुरेश

गुल

पुत्रिणीगठ

शंभु

शंभु

शंभु

शंभु

शंभु

शंभु

शंभु

शंभु

शंभु